



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प सागर

हीरालाल गोड तनय करताली गोड

मिठा - १०९५ - I - १६

निवासी मुडिया पहाड़ रानीबाग

ग्राम पंचायत मनौर, तह. व जिला पन्ना

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एवं धारा 165 म.प्र.भू

राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण क्र 07/अ-21/14-15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मनौर स्थित भूमि खसरा क्र 24/2 रकवा 1.132 है. एवं ग्राम पन्ना स्थित खसरा क्र 1235/2, 239, 260, 251, 252, 1211 रकवा क्रमशः 0.400, 0.546, 0.073, 0.016, 0.081, 0.506 कुल किता 7 कुल रकवा 2.754 है निगरानीकर्ता की स्वर्गित भूमि है जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर पन्ना द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, कलेक्टर पन्ना द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

Lokain
Lokain

(निटेंड्र किंवद्व
८० लाख)
१९२५-७१२२३)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R- 2095.E/16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-6-16	<p>1— आवेदक के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंहर्ड उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने।</p> <p>2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर जिला पन्ना म0प्र0 के प्र.क्र.07/अ-21/वर्ष 14-15 में के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम मनौर स्थित खसरा क्र 24/2 रकवा 1.132 है एवं ग्राम पन्ना स्थित खसरा क्र 1235/2, 239, 260, 251, 252, 1211, रकवा क्रमशः 0.400, 0.546, 0.073, 0.016, 0.081, 0.506 कुल किता 7 कुल रकवा 2.754 है भूमि आवेदक की स्वर्गजित भूमि है तथा वर्तमान में आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।</p> <p>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक भूमि को विक्रय कर व्यापार करना चाहता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसका स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। आवेदक का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p>

R. 2095. I/16 (402)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ. आदि । सन्नाक्षर
	<p>हुए निगरानी ग्राहय किये जाने का अनुरोध किया है ।</p> <p>4— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा अपनी अस्वाधीनता के संबंध के पर्यां भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है तथा उसको विक्रय उपरान्त आवेदक के पास कुछ भूमि शेष है तथा आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कभी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।</p> <p>5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाइन के मान से विक्रयधन विकेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें।</p> 	